तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- 5/4/18 -----को पेश हो।	
5-4-18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- 31-6-18 -----को। पेश हो।	
	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 31.5.18 केम्प बूढादीत को पेश हो।	
31-5-18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढादीत में पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 3 मजमें आम में उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् को मजमें आम में सुना गया। वकील वादीगण ने कथन किये कि ग्राम देदियाहेडी में ख0नं0 2 रकबा 2.38 हे0, ख0नं0 29 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 30 रकबा 3.53 हे0, ख0नं0 161/218 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 165 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.36 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 3 ता 9 के शामलाती खातें में दर्ज है। पूर्व में उपरोक्त भूमि धन्ना के खातें में दर्ज थी। धन्ना की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र प्रतिवादी नं0 1 छीत्या व श्योनाथ के खातें दर्ज हुई, श्योनाथ ही मृत्यु के बाद उनके स्थान पर प्रतिवादी नं0 3 ता 9 का नाम दर्ज किया गया। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 3 ता 9 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 के दो पुत्र प्रतिवादी नं0 2 व इन्द्रराज हुये। इन्द्रराज की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण इन्द्रराज के वारिसान है। वादीगण के पिता व पति	[illegible] नि0 छीत्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किसी हुक्म तामील में जारी

इन्द्रराज की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नं0 2 काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में एक अधिकार पत्र उक्त आराजी बाबत् लिखा हुआ है, जिसके आधार पर प्रतिवादी नं0 2 उक्त भूमियों को सम्भालता है और उक्त अधिकार पत्र की आड में सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी नं0 1 की ओर से ऋण ले रखा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से 1/2 में वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 1 ने कथन किये कि वादीगण मेरें पुत्र इन्द्रराज के वारिसान है तथा प्रतिवादी नं0 2 मेरा पुत्र है। मेरें खातें व हिस्से की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 का नाम दर्ज करनें में मेरी सहमति है। सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा कथन किये कि प्रतिवादी नं0 4 व 5 की मृत्यु हो चुकी है। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 3 द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। प्रतिवादी नं0 4 व 5 की मृत्यु हो जानें से उनके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रतिवादी नं0 1 विवादित भूमि का अभिलिखिल सहखातेदार है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 के वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 की संतान का विवादित आराजी में जन्म से हिस्सा निहित है, जिसके वह खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम देदियाहेडी में ख0नं0 2 रकबा 2.38 हे0, ख0नं0 29 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 30 रकबा 3.53 हे0, ख0नं0 161/218 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 165 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.36 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 छीत्या के साथ वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बूढादीत

उनवान

1. हरिओम पुत्र स्व0 इन्द्रराज
2. चेतन पुत्र स्व0 इन्द्रराज
3. सन्जू बाई पुत्री स्व0 इन्द्रराज
4. द्वारका बाई बेवा स्व0 इन्द्रराज जाति मीणा निवासीगण देदियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. छीत्या पुत्र धन्ना
2. सुरेश पुत्र छीत्या
3. कन्हैयालाल पुत्र श्योनाथ
4. रामकल्याण पुत्र श्योनाथ मृतक जरिये कायम मुकामान–

   4/1. पूजा पुत्री रामकल्याण
5. रामप्रसाद पुत्र श्योनाथ मृतक जरिये कायम मुकामान–

   5/1. विशाल पुत्र रामप्रसाद

   5/2. काली पुत्री रामप्रसाद

   5/3. छोटी बेवा रामप्रसाद
6. रामस्वरूप पुत्र श्योनाथ
7. राम विलास पुत्र श्योनाथ नाबालिग
8. राकेश बाई पुत्री श्योनाथ नाबालिग जरिये वली माता जगन्नाथी बाई
9. जगन्नाथी बाई बेवा श्योनाथ जाति मीणा निवासीगण देदियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 76/14

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम देदियाहेडी में ख0नं0 2 रकबा 2.38 हे0, ख0नं0 29 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 30 रकबा 3.53 हे0, ख0नं0 161/218 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 165 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.36 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 छीत्या के साथ वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 को सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner